

पत्र संख्या 885/16C
सेवामें,

दिनांक 12/05/20 23

✓ उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग।

विषय- वनभूमि पत्रावली संख्या FP/UK/ROAD/8895 /2014 जनपद रुद्रप्रयाग में मवाधार से चामक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.91 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

सन्दर्भ- भारत सरकार का पत्र संख्या 8बी/यूसीपी/06/267/2015/एफसी/582 दिनांक 26.06.18 एवं आपका पत्र संख्या 362/12-1(2) दिनांक 06.08.2018 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा उक्त मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है, सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित है-

क्र०	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 4200 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं दस वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग द्वारा 4200 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं उनके 10 वर्षों के रख-रखाव हेतु वांछित धनराशि रु० 42,20,000.00 मात्र RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal S.B. A/c 150896188950 IFSC code UBIN0996335, Union Bank में इस कार्यालय द्वारा ऑन लाइन द्वारा जमा किया जा चुका है, (चालान की प्रति संलग्न-संलग्नक-1)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग द्वारा शर्त संख्या 2 के अनुपालन में इको क्लास के अनुसार 0.91 हे० वनभूमि एनपीवी की देय धनराशि रु० 5,97,870.00 मात्र की उक्त खाते में इस कार्यालय द्वारा ऑन लाइन द्वारा जमा किया जा चुका है, (चालान की प्रति संलग्न (संलग्नक-1)।
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचन बढ़ता प्रस्तुत की जाए।	शर्त संख्या 3 के अनुपालन में एनपीवी मूल्य की दर में यदि बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग जमा करने के लिए बचनबद्ध है, संलग्नक-2।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह निश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA Cost, NPV etc) को बैंक पोर्टल पर Online Generate किये गए चालान के माध्यम से उचित ऑन लाइन बैंक में जमा किए जाएँ अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	शर्त संख्या 1 व 2 के अनुसार (कुल धनराशि रु० 52,17,870.00 मात्र)
5	सड़क के निर्माण के पश्चात जहां-जहां हो सड़के के दोनों किनारों पर Central Verge पर विभाग अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय की बचन बढ़ता प्रेषित करनी होगी।	सड़क के निर्माण के पश्चात जहां-जहां हो सड़के के दोनों किनारों पर Central Verge पर विभाग अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation करने हेतु बचनबद्ध है (संलग्नक-3)
6	State Govt may submit original hard copy of the geo referenced digital map for road as uploaded in online Part I	Attested (संलग्नक-4)

वनभूमि
21/05/2023
185323

7	State Govt may submit original hard copy of the authorized certificate of the person making the application.	Attested (संलग्नक-5)
8	State Govt may upload current data about employment details at para E online Part I	Attested (संलग्नक-6)
9	State Govt may submit original hard copy of site suitability certificate	Attested (संलग्नक-7)

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु प्रकरण भारत सरकार को अपनी संस्तुति सहित प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

(इं० जीत सिंह रावत)
अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि-

1. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

1

प्रतिपत्र / Counterfoil

आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. द्वारा धन प्रेषण के लिए आवेदन
Application for RTGS/NEFT Remittance



भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA

शाखा/Branch: RUDRAPRAYAG.

दिनांक/Date: 16.2.23

Received From

से प्राप्त किया

चैकों द्वारा अंतरण आरटीजीएस/एनईएफटी के लिए

By Cheques/Transfer for RTGS/NEFT

पर/on: Union Bank of India

बैंक/Bank: Union Bank of India

शा/Branch: FCS Center 2/1 m floor Jellita Tower
Mission Road Bengaluru

के पक्ष में/Favouring: Uttaranchal Compa

आईएफएससी कोड/IFSC Code: UBIN0996335

राशि संख्या/Account No: 150896188950



राशि (रुपये)/Amount Rs. 5217870

बैंक प्रभार/Bank's charges Rs.

योग/Total Rs. 5217870

राशि /Rupees (in words): Fifty two lac Seventeen
thousand Eight hundred seventy only.

सत्यापित प्रति

सहायक अभियन्ता
प्रा०स० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	UK/ROAD/8895/2014 (./viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/8895/2014) Construction of Mavdhar to Chamk Motor road under Distt Sector	ROAD88952014845	6188950845	26 Jul 2018	CA: 0/- Addl CA: 0/- PCA: 0/- CAT: 0/- Safety Zone: 0/- Addl PA: 0/- NPV: 597870/- tree plantation 4620000/- 10 times Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 5217870/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by : 23 Aug 2018 Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated : 02 Feb 2023 On Transaction : 16 Feb 2023 Date	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/8119124212146883WDemandnote.pdf) Generated Challan (./UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD88952014845)
2	FP/UK/ROAD/10979/2015 (./viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10979/2015) Construction of Nauli Bend to Nauli Village Motor Road under District Sector	ROAD109792015465	6110979465	09 Oct 2020	CA: 271433/- Addl CA: 0/- PCA: 0/- CAT: 0/- Safety Zone: 0/- Addl PA: 0/- NPV: 264443/- Other Charges: 0/- Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 535876/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by : 02 Nov 2020 Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated : 23 Jan 2023 On Transaction : 10 Feb 2023 Date	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/10112312512101LKX7demandletter.pdf) Generated Challan (./UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD109792015465)
3	FP/UK/ROAD/11055/2015 (./viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/11055/2015) Construction of Mamni-Uroli Motor Road under State sectore	ROAD110552015179	6111055179	01 Dec 2017	CA: 0/- Addl CA: 0/- PCA: 0/- CAT: 0/- Safety Zone: 0/- Addl PA: 0/- NPV: 0/- Change User Agency: 100000/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 100000/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by : 15 Oct 2022 Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated : 07 Nov 2022 On Transaction : 21 Dec 2022 Date	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/151020221157226576_FPUKROAD110552015_User_Fund_Demanded_61422.pdf) Generated Challan (./UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD110552015179)
4	FP/UK/ROAD/35879/2018 (./viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/35879/2018) Construction of Jakhani to Tendwalgaon Motor road under District Sector	ROAD358792018491	6135879491	31 Mar 2021	CA: 552644/- Addl CA: 0/- PCA: 0/- CAT: 0/- Safety Zone: 0/- Addl PA: 0/- NPV: 629525/- Other Charges: 0/- Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 1182169/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by : 28 Jul 2021 Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated : 12 Oct 2022 On Transaction : 02 Nov 2022 Date	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/71123121712164EY0DemandNote.pdf) Generated Challan (./UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD358792018491)

सत्यापित प्रति
सहायक अभियन्ता
प्रो.सं. लो.नि.वि.०
सम्प्रदाय

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत मवाधार से चामक मोटर मार्ग, लम्बाई 2.00 किमी० (7 मीटर चौड़ाई में) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एन०पी०वी० की धनराशि में वृद्धि का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की दर में कोई वृद्धि की जाती है तो प्रस्तावक विभाग उसे वहन करने हेतु सहमत है।


कनिष्ठा अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


अधिशोषी अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत मवाधार से चामक मोटर मार्ग, लम्बाई 2.00 किमी० (7 मीटर चौड़ाई में) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

Strip Plantation on Central Verge (बचनबद्धता) का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सड़क निर्माण के पश्चात जहां जहां सम्भव हो, सड़क के दोनों किनारों तथा **Central Verge** पर विभाग द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में **Strip Plantation** किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग



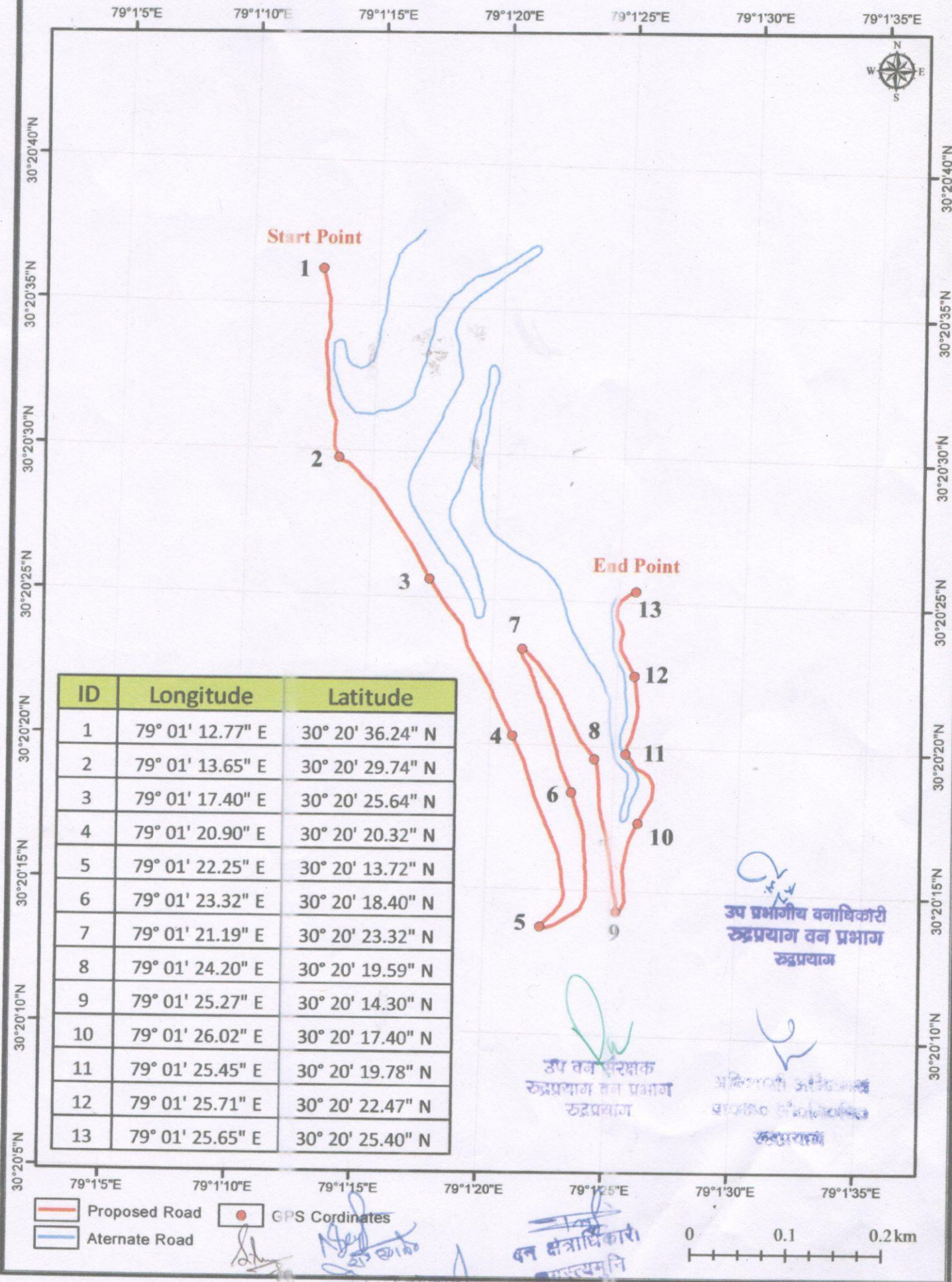
सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग



अधिशाली अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

4

कार्य का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग में जिला योजना के अन्तर्गत मवाधार से चामक तक
मोटर मार्ग के निर्माण (लम्बाई 02.00 कि०मी०)



कार्य का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग में जिला योजना के अन्तर्गत मवाधार से चामक तक मोटर मार्ग के निर्माण (लम्बाई 02.00 कि०मी०)

Muck Disposal Scheme

79°1'10"E

79°1'15"E

79°1'20"E

79°1'25"E

79°1'30"E

79°1'35"E

30°20'40"N

30°20'35"N

30°20'30"N

30°20'25"N

30°20'20"N

30°20'15"N

30°20'10"N

30°20'5"N

30°20'40"N

30°20'35"N

30°20'30"N

30°20'25"N

30°20'20"N

30°20'15"N

30°20'10"N

30°20'5"N



Start Point

End Point

1

2

ID	Longitude	Latitude
1	79° 01' 21.20" E	30° 20' 23.30" N
2	79° 01' 26.52" E	30° 20' 18.14" N

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

Proposed Road

Alternate Road

Muck Dumping Site

0 0.1 0.2 km

कार्य का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग में जिला योजना के अन्तर्गत मवाधार से चामक तक
मोटर मार्ग के निमार्ण (लम्बाई 02.00 कि०मी०)



**Office of the Executive Engineer
Provincial Division P.W.D.
Rudraprayag**

To whomsoever it may concern

It is to state that I Mr. Indrajit Bose, Executive Engineer, Provincial Division P.W.D. Rudraprayag authorize myself to make Online Submission of Forest clearance proposal on behalf of user Agency.

(Er. Indrajit Bose)
Executive Engineer
Provincial Division
PWD, Rudraprayag

सत्यापित प्रति
सहायक अभियन्ता
प्रा०स्त्र० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

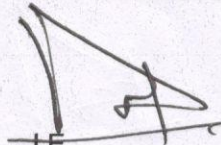
6

Employment Generation

जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत मवाधार से चामक मोटर मार्ग, लम्बाई 2.00 किमी० (7 मीटर चौड़ाई में) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

Block Augustmuni

Sl. No.	Items	Length of road in		Rate		Details	
1	2	3	4	5		6	
1.	Construction cost of Road as per current Norms	2.00	Km	33.60	=	67.20	lakhs
2.	Construction Component (70%)	Rs.	Rs.		=	47.04	lakhs
3.	Labour Component (30%)	Rs.	Rs.		=	20.16	lakhs
4.	Expenditure on Item No. 3	Rs.	Rs.		=	20.16	lakhs
a.	Skilled Labour (20%)	Rs.	Rs.		=	4.03	lakhs
b.	Unskilled Labour (80%)	Rs.	Rs.		=	16.13	lakhs
5.	Mandays (8 hours)				=		
a.	Skilled Labour PL 17 SOR 01-05-2019	1	Day	446.60	=	903	No.
b.	Unskilled Labour PL 15 SOR 01-05-2019	1	Day	365.40	=	4414	No.
	Total No. of mandays					5317	No.
						0.05	Lac Mandays


J.E.


A.E.


E.E.

प्रस्ताव संख्या

:- FP/UK/ROAD/8895/2014

7

परियोजना का नाम :-

जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत मवाधार से चामक मोटर मार्ग (0.91 है०) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत मवाधार से चामक मोटर मार्ग (0.91 है०) के निर्माण में हस्तान्तरित की जाने वाली वन भूमि के विरुद्ध दुगने क्षेत्रफल 0.91 ha. X 2 = 1.82 ha. Or Say 2.00 ha. है० जाखणी सिविल में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

सत्यापित प्रति
सहायक अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Rudraprayag

No 20Dated 16-01-2015**TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.9100 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Provincial Division P.W.D. Rudraprayag** (name of user agency) for **Construction of Mavadhhar to Chamak Motor Road under Distt Sector** (purpose for diversion of forest land) in **Rudraprayag** district falls within jurisdiction of **Chamak** village (s) in **Rudraprayag** tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Raghar
Dr. Raghar Langer

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

सत्यापित प्रति
सहायक अभियन्ता
प्रा०स० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

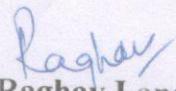
**OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT Rudraprayag (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Rudraprayag district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Dr. Raghav Langar I.A.S District Magistrate Rudraprayag on date 16.01.15 at time 11.00 AM at Rudraprayag in which application claiming rights in Forest area measuring 1.1900 hect for the Construction of Mavadhar to Chamak Motor Road (2.00 Km) of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of S.D.M. sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

**Place : Rudraprayag
Dated:.....**


Dr. (Raghav Langar)
**District Magistrate-cum-
Chairman, District Level
Committee, Rudraprayag**

सत्यापित प्रति
सहायक अभियन्ता
प्राञ्चल लोनिवि
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत मवाधार से चामक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :-

तहसील रुद्रप्रयाग, जिला रुद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत मवाधार से चामक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.000 किमी०) परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 1.1900 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.910 हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.910 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ~~पंचायत~~ द्वारा दिनांक 24/12/14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ~~पंचायत~~ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है। ✓

ह०/-

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम सचिव
दि० 24/12/14
अगस्त्यमुनि
जिला रुद्रप्रयाग



नोट :-यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

सत्यापित प्रति

सहायक अभियन्ता
प्रा०स० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-23.1

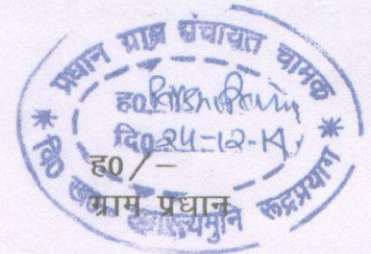
परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत मवाधार से चामक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

दिनांक 24/12/14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत - चामक

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
①	श्री वृजमोहन सेनवाल	
②	श्री फरखुराज सेनवाल	
③	श्री दिनेश सेनवाल	
④	श्री सत्यनन्द सेनवाल	
⑤	श्री वीरेन्द्र सेनवाल	
⑥	.. - वन्दनलाल - पमोल	
⑦	.. मुखेशचन्द्र सेनवाल	
⑧	नरोत्तम प्रसाद गड	

संलग्न है।



सत्यापित प्रति
सहायक अभियन्ता
प्रा०स० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत मवाधार से चामक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, :- रुद्रप्रयाग

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, अगस्त्यमुनि।

उपखण्ड अगस्त्यमुनि परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि जिला योजना के अन्तर्गत मवाधार से चामक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.000 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.91 हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.9100 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील रुद्रप्रयाग) की दिनांक 24/11/14 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री _____, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री चतर सिंह चौहान उपजिलाधिकारी रुद्रप्रयाग अध्यक्ष
- 2- श्री अजय शर्मा उप प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग, सदस्य
- 3- श्री हर्षवर्धन भट्ट सहायक समाज कल्याण अधिकारी, रुद्रप्रयाग, सदस्य/सचिव
- 4- श्री ~~हरि लाल~~ बी०डी०सी० क्षेत्र ~~वी०डी०सी० क्षेत्र~~ सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत मवाधार से चामक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, परियोजना हेतु 0.910 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सावजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अगस्त्यमुनि परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत मवाधार से चामक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, परियोजना के निर्माण हेतु 0.910 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील-

जनपद

सत्यापित प्रति

सहायक अभियन्ता
प्र०स० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग